

प्रशासन अनुभाग

सं.मानू/प्रशासन/मि.120/2026-27/147

दिनांक: 27 मई, 2026

कार्यालय आदेश

- विषय : मानू - प्रशासन - तत्काल प्रभाव दिनांक 01.01.2026 से संशोधित दरों पर महँगाई भत्ता और महँगाई राहत के भुगतान के संबंध में - आदेश जारी ।
- संदर्भ : 1. व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा दिनांक: 22 अप्रैल 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं.1/1/(i)2026- ई.II (बी)
2. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, नई दिल्ली द्वारा 24 अप्रैल, 2026 को जारी कार्यालय ज्ञापन सं.42/02/2024-पी एवं पीडब्ल्यू (डी)/ई-9475
3. यूजीसी पत्र एफ. सं.-67-3/2021(सीयू)/वालयूम.I/126272 एवं 104528 दिनांक: 25 मई, 2026
4. दिनांक 27.05.2026 को कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित।

उपरोक्त संदर्भ में उद्धृत कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत संशोधित वेतनमान के अनुसार वेतन प्राप्त कर रहे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के सभी पात्र कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को, महँगाई भत्ता और महँगाई राहत 58% की मौजूदा दर से 60% तक की बढ़ी हुई दर पर तत्काल प्रभाव दिनांक. 01 जनवरी, 2026 से भुगतान करने हेतु अनुमोदित किया गया है।

#आदेशानुसार#

कुलसचिव

सेवा में

वित्त अधिकारी(संदर्भ के अंतर्गत यूजीसी का पत्र और कार्यालय ज्ञापन की प्रति के साथ)

- सभी अध्ययन संकायों के संकायाध्यक्ष
सभी केन्द्रों व निदेशालय के निदेशक
सभी विभागाध्यक्ष (शैक्षणिक)
सभी अनुभाग अध्यक्ष/ प्रभारी (गैर-शैक्षणिक)
सभी क्षेत्रीय केन्द्रों, उप-केन्द्र, सीटीई/पॉलीटेकनीक/आईटीआई/
मॉडल स्कूल, सैटलाइट कैम्पस, आदि के विभागाध्यक्ष/प्रभारी।

प्रतिलिपि :

1. कुलपति/कुलसचिव कार्यालय
2. निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र- वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।
3. संबंधित फाइल

कुलसचिव / Registrar
मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी
Maulana Azad National Urdu University
गच्छीबोली, हैदराबाद-500 032.
Gachibowli, Hyderabad-500 032